इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 मार्च 2013—चैत्र 5, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-13-2011-1-पांच (6).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों के वर्ग को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

स्वामियों के वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी.	अंशत: इस प्रकार कि जिससे अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर दस प्रतिशत हो जाए.	(एक) किसी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा अपने नियमित सदस्यों के लिए आयोजित खेल गतिविधियों के संबंध में; और (दो) किसी अम्यूजमेंट पार्क तथा किसी थीम पार्क की गतिविधियों के संबंध में, छूट उपलब्ध रहेगी.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-13-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2011-1-पांच (06), दिनांक 26 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th March 2013

No. F A-3-13-2011-1-V (6).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act), the State Government, hereby, exempts the class of proprietors specified in column (1) of the table below from payment of tax under the Act to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

Class of Proprietors (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietors registered under the Act.	Partly so as to reduce the rate of tax to ten percent under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the Act.	The exemption shall be available in respect of— (i) the sports activities organised by a sports club for its regular members; and (ii) activities of an amusement park and theme park.

2. This notification shall come into force from 1st April 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-13-2011-1-पांच (7).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों के वर्ग को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

स्वामियों के वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी.	अंशतः इस प्रकार कि जिससे अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत हो जाए.	(एक) पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों तथा भवनों की गतिविधियों के संबंध में; (दो) संग्रहालयों की गतिविधियों के संबंध में; और

(1)	(2)	(3)
		(तीन) किसी चिड़ियाघर एवं वनस्पति उद्यान और वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों में आयोजित गतिविधियों के संबंध में, छूट उपलब्ध रहेगी.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-13-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2011-1-पांच (07), दिनांक 26 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th March 2013

No. F A-3-13-2011-1-V (7).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act), the State Government, hereby, exempts the class of proprietors specified in column (1) of the table below from payment of tax under the Act to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

Class of Proprietors (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietors registered under the Act.	Partly so as to reduce the rate of tax to Zero percent under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the Act.	The exemption shall be available in respect of— (i) activities of sites and buildings of archaeological and historical importance; (ii) activities of museums; and (iii) activities organised in a zoological and botanical garden and in protected areas for wild life.

2. This notification shall come into force from 1st April 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-13-2011-1-पांच (8).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों के वर्ग को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

स्वामियों के वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)		निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी.	अंशत: इस प्रकार कि जिससे अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर शून्य प्रतिशत हो जाए.	1.	किसी ऐसे वातानुकूलित सिनेमाघर में, जिसका संचालन 1 अप्रैल 2006 के पूर्व प्रारंभ हो चुका हो तथा जो किसी नगरपालिक निगम की सीमा के बाहर स्थित हो, उपलब्ध कराए गए मनोरंजन के संबंध में छूट उपलब्ध रहेगी.
		2.	ऐसे मनोरंजन में, जिसकी दर प्रति सीट रुपये पचास तक है, प्रवेश के लिए धनीय प्रतिफल के संबंध में छूट उपलब्ध रहेगी.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-13-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2011-1-पांच (08), दिनांक 26 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th March 2013

No. F A-3-13-2011-1-V (8).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act), the State Government, hereby, exempts the class of properties specified in column (1) of the table below from payment of tax under the Act to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

Class of Proprietors (1)	Extent of exemption (2)		Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietors registered under the Act.	Partly so as to reduce the rate of tax to zero percent under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the Act.	1.	The exemption shall be available in respect of entertainment provided in an air-conditioned cinema hall, which operation has been commenced prior to 1st April 2006 and is situated outside the limits of a Municipal Corporation.

(1)	(2)	(3)	
		2.	The exemption shall be available in respect of the monetary consideration for admission to such entertainment, rate of which is up to rupees fifty per seat.

2. This notification shall come into force from 1st April 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-11-2011-1-पांच (09).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-01-2012-1-पांच (37), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक और शब्द "31 मार्च, 2013" के स्थान पर, अंक और शब्द "31 मार्च, 2014" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ. ए 3-11-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-11-2011-1-पांच (09), दिनांक 26 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th March 2013

No. F A-3-11-2011-1-V (09).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011) the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-5-01-2012-1-V(37), dated 19th October 2012, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word "31st March, 2013", the figures and word "31st March, 2014" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.